प्रेस नोट जनपद मुरादाबाद

श्री सतपाल अंतिल, वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक, मुरादाबाद के निर्देशन में अपराध व अपराधियों पर अंकुश एवं प्रभावी नियन्त्रण बनाये रखने हेतु आज दिनांक 03.12.2024 को जनपद मुरादाबाद से निम्न कार्यवाही की गयीः-

1- थाना बिलारी पुलिस द्वारा शांति व्यवस्था भंग करने के 04 आरोपीगण को गिरफ्तार कर माननीय न्यायालय के समक्ष पेश किया गया।

अवगत कराना है कि वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक,मुरादाबाद के निर्देशानुसार अपराध नियंत्रण, कानून एवं शान्ति व्यवस्था को सुदृढ़ बनाये रखने हेतु चलाये जा रहे अभियान के अन्तर्गत आज दिनांक 03.12.2024 को **थाना बिलारी पुलिस** द्वारा आरोपीगण 1. फैसल पुत्र गुड्डू नि0 चौडा खडंजा रूस्तमनगर सहसपुर थाना बिलारी मुरादाबाद 2. अफजाल पुत्र अबरार 3. दिलशाद पुत्र अबरार 4. वसीम पुत्र अबरार नि0गण मौ0 नई बस्ती रूस्तमनगर सहसपुर थाना बिलारी मुरादाबाद को संज्ञेय अपराध कारित करने से रोकने एवं परिशान्ति कायम रखने हेतु अन्तर्गत धारा-170/126/135 भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता 2023 में गिरफ्तार कर माननीय न्यायालय भेजा गया।

2- महिला आरक्षी के साथ गाली-गलौच,मारपीट व अश्लील हरकत करने के 02 आरोपीगण को थाना सिविल लाइन्स पुलिस ने किया गिरफ्तारः-

अवगत कराना है कि दिनांक 30.11.2024 को थाना सिविल लाईन्स क्षेत्रान्तर्गत चक्कर की मिलक के पास कुछ व्यक्तियो द्वारा एक महिला के साथ मारपीट का सोशल मीडिया पर वायरल वीडियो प्रकाश में आया जिस पर उच्चाधिकारीगण व थाना सिविल लाईन्स पुलिस द्वारा संज्ञान लेते हुये तत्काल वीडियो से संबंधित महिला आरक्षी हाल निवासनी पुराना आरटीओ आफिस चक्कर की मिलक थाना सिविल लाईन्स जनपद मुरादाबाद की तहरीरी सूचना अभियुक्तगण द्वारा एक राय होकर वादिनी के साथ गाली-गलौच, मारपीट व अश्लील हरकत करने के संबंध में थाना सिविल लाईन्स पर मु0अ0सं0- 1057/2024 धारा- 91(2),115(2), 352, 76 बीएनएस बनाम मौ0 नईम आदि के विरुद्ध पंजीकृत किया गया।

वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक, मुरादाबाद के निर्देशानुसार उक्त घटना में संलिप्त अपराधियो की शीघ्र गिरफ्तारी हेतु पुलिस अधीक्षक नगर, मुरादाबाद के कुशल निर्देशन एंव क्षेत्राधिकारी सिविल लाईन्स के निकट पर्यवेक्षण में थाना सिविल लाईन्स पर टीम गठित की गयी । विवेचनात्मक

कार्यवाही व साक्ष्य संकलन के आधार पर गठित टीम द्वारा प्रभावी कार्यवाही करते हुये आज दिनांक 03.12.2024 को मुकदमा उपरोक्त में नामित अभियुक्तगण 1- मौहम्मद नईम पुत्र अफसर अली निवासी पुराना आरटीओ आफिस चक्कर की मिलक थाना सिविल लाईन्स मुरादाबाद, 2-सालिम पुत्र अफसर अली निवासी पुराना आरटीओ आफिस चक्कर की मिलक थाना सिविल लाईन्स मुरादाबाद को गिरफ्तार किया गया। अन्य विधिक कार्यवाही प्रचलित है।

गिरफ्तार अभियुक्तगण-

1-मौहम्मद नईम पुत्र अफसर अली निवासी पुराना आरटीओ आफिस चक्कर की मिलक थाना सिविल लाईन्स मुरादाबाद।

2-सालिम पुत्र अफसर अली निवासी पुराना आरटीओ आफिस चक्कर की मिलक थाना सिविल लाईन्स मुरादाबाद।

पंजीकृत अभियोगः-

मु0अ0सं0-1057/2024 धारा 191(2),115(2),352,76 बीएनएस थाना सिविल लाईन्स जनपद मुरादाबाद।

गिरफ्तार करने वाली टीमः-

1-प्रभारी निरीक्षक मनीष सक्सैना थाना सिविल लाईन्स, जनपद मुरादाबाद।
2-उ0नि0 अरूण वर्मा थाना सिविल लाईन्स, जनपद मुरादाबाद।
3- म0हे0का0 किरन यादव थाना सिविल लाईन्स, जनपद मुरादाबाद
4-का0 सुनील कुमार थाना सिविल लाईन्स, जनपद मुरादाबाद।

3- थाना पाकबडा पुलिस द्वारा गैंगस्टर एक्ट के अभियुक्त मौ0 सलमान पुत्र नजारूल नि0 ग्राम रतनपुर कला थाना पाकबडा मुरादाबाद के विरुद्ध धारा 14(1)उत्तर प्रदेश गिरोहबन्द अधिनियम के तहत कार्यवाही करते हुए उक्त अपराधी द्वारा समाजविरोधी क्रियाकलापों से अर्जित की गई अवैध अचल सम्पत्ति (कीमत 22,83,434/- रुपये) को जब्त/कुर्क किया गया।

अवगत कराना है कि दिनांक 21.08.2023 को थाना पाकबडा मुरादाबाद पर अभियुक्त मौ0 सलमान पुत्र नजारूल नि0 ग्राम रतनपुर कला थाना पाकबडा मुरादाबाद के विरुद्ध मु0अ0सं0 269/23 धारा 3(1) गैंगस्टर एक्ट, गौवध जैसे अपराध कारित कर एक संगठित गिरोह बनाकर भौतिक एवं आर्थिक लाभ अर्जित करने के सम्बन्ध में पंजीकृत किया गया।

उपरोक्त मुकदमें की विवेचना प्रभारी निरीक्षक थाना मूढापाण्डे मुरादाबाद द्वारा संपादित की गई। अभियुक्त मौ0 सलमान उपरोक्त द्वारा एक संगठित गिरोह बनाकर भौतिक एवं आर्थिक लाभ अर्जित करने के उद्देश्य से भादवि0 के अध्याय 16 के अधीन गौवध- जैसे जघन्य अपराध व अवैध कृत्य कारित करके अर्जित व अवैध धन से अपने व परिवारीजन के भरण- पोषण व अवैध धन अर्जित किया गया। उक्त अभियुक्त के विरुद्ध स्थानीय थाना व जनपद के अन्य थानो पर कई मुकदमें दर्ज हैं।

उ0प्र0 शासन के निर्देशानुसार माफियाओं / गैंगस्टर के अभियुक्तों के विरूद्ध चलाये जा रहे अभियान के अन्तर्गत अर्जित अवैध सम्पत्ति कुर्क किये जाने के परिप्रेक्ष्य में माननीय न्यायालय श्रीमान जिला मजिस्ट्रेट मुरादाबाद के आदेशानुसार, वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक मुरादाबाद के निर्देशन में आज दिनांक 03.12.2024 को नायब तहसीलदार बिलारी व थाना पाकबडा पुलिस द्वारा **मु0अ0सं0-269/23 धारा 3(1) गैंगस्टर एक्ट से सम्बन्धित अभियुक्त मौ0 सलमान पुत्र नजारूल नि0 ग्राम रतनपुर कला थाना पाकबडा मुरादाबाद के**

नाम रजिस्टर्ड ग्राम रतनपुर कला मे स्थित एक आवासीय मकान जिसका क्षेत्रफल 117 वर्ग मीटर कीमत (22,83,484 रु0) को धारा 14(1) गैंगस्टर एक्ट के अंतर्गत कुर्क/जब्त किया गया है

आपराधिक इतिहासः-

1.मु0अ0सं0 186/2011 धारा 3/5/8 सीएस एक्ट थाना पाकबडा मुरादाबाद।
2.मु0अ0सं0 384/2018 धारा 3/5/8 सीएस एक्ट थाना पाकबडा मुरादाबाद।
3.मु0अ0सं0 140/2020 धारा 379 भादवि थाना पाकबडा मुरादाबाद।
4.मु0अ0सं0 146/2020 धारा 188/269/270 भादवि थाना पाकबडा मुरादाबाद।
5.मु0अ0सं0 278/2020 धारा 3(1) गैंगस्टर एक्ट थाना पाकबडा मुरादाबाद।
6.मु0अ0सं0 548/2020 धारा 60 आबकारी अधिनियम थाना पाकबडा मुरादाबाद।
7.मु0अ0सं 329/2022 धारा 3/5/8 सीएस एक्ट थाना पाकबडा मुरादाबाद।
8.मु0अ0सं0 217/2023 धारा 3/5/8 सीएस एक्ट थाना पाकबडा मुरादाबाद।
9.मु0अ0सं0 269/2023 धारा 3(1) गैंगस्टर एक्ट थाना पाकबडा मुरादाबाद।

जब्त सम्पत्ति का विवरणः-

एक आवासीय्र मकान जिसका क्षेत्रफल 117 वर्ग मीटर कीमत (22,83,434 रु0)।